	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
	सुरेश चन्द्र खटीक को 89/23700 हिस्सा विक्रय किया जिसका इन्द्राज है। अतः भंवर लाल पिता चम्पा लाल खटीक के नाम 1348/23700 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। गोपी बाई पत्नि माधु बलाई द्वारा नामान्तरण 201 द्वारा 74/23700 हिस्सा रुक्मणी बाई पत्नि सुरेश चन्द्र मोदी का० खजराना तथा नामान्तरण 202 द्वारा 82/23700 हिस्सा बद्री लाल पिता लालू रेगर, प्रकाश पिता गमेर रेगर का० कुरावली को बेच्यान किया गया अतः दोनों क्रेताओं का नाम खसरा रेकार्ड मे जोड़ा जाता है तथा गोपी बाई के नाम 1458/23700 हिस्सा किया जाने का आदेश दिया जाता है। लीला देवी पत्नि डालचन्द मलाल द्वारा नामान्तरण 218 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेच्यान किया गया उक्त हिस्सा देवी लाल पिता नानूराम खटीक को विक्रय किया। अतः लीला देवी पत्नि डालचन्द मलाल का नाम हटाया जाता है। माधु सिंह, केसर सिंह पिता चैन सिंह, भगवत सिंह मोहन सिंह पिता चैन सिंह, कमला, सायरबाई पिता चैनसिंह भंवरबाई पत्नि चैन सिंह द्वारा नामान्तरण 99 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 112/237 बसन्ती बाई पत्नि भरतलाल वैष्णव का० मण्डपिया (सांवलिया) को बेच्यान किया जिसके माधु सिंह, केसर सिंह, भगवत सिंह, मोहन सिंह, कमला, सायरबाई पिता चैन सिंह भंवर बाई पत्नि चैन सिंह का नाम हटाकर बसन्ती बाई पत्नि भरतलाल का नाम जोड़ा जाता है। शेष बदस्तूर रहे। वस्तेवायान रेकार्ड मे अंकन बाबत तहसीलदार कपासन को पृथक से आदेश जारी हो। निर्णय खोले रूप में लिखाया गया। पत्रावली फैसल	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official